[2021] 6 एस. सी. आर. 630

सुनील कुमार @सुधीर कुमार और ए. एन. आर.

वी.

उत्तर प्रदेश राज्य

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 526)

25 मई, 2021

[दिनेश माहेश्वरी और अनिरुद्ध बोस, जे. जे.]

सजा/सजाः समवर्ती या लगातार चलने के लिए वाक्य-निर्दिष्ट करने के लिए पहली बार के न्यायालय का कर्तव्य-आयोजितः कारावास के कई दंड देते समय पहली बार की अदालत के लिए यह कानूनी रूप से अनिवार्य है कि वह स्पष्ट शब्दों में निर्दिष्ट करे कि क्या सजाएं समवर्ती रूप से चलेंगी या लगातार-यदि पहली बार की अदालत सजाओं के समवर्ती संचालन को निर्दिष्ट नहीं करती है, तो निष्कर्ष, मुख्य रूप से, यह है कि अदालत का इरादा था हालांकि, ऐसे वाक्य लगातार चलने के लिए, पहली बार के न्यायालय को इस मामले को बाद के चरण में कटौती के लिए नहीं छोड़ना चाहिए इसके अलावा, यदि पहली बार के न्यायालय का इरादा है

वाक्यों का लगातार चलना, एक और दायित्व है

जिस क्रम में उन्हें निष्पादित किया जाना है, उस क्रम (अर्थात अनुक्रम) को बताने के लिए उस पर।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: धारा 31 (1)-आयोजितः धारा 31 (1) न्यायालय को सजा का आदेश देने के लिए पूरा विवेकाधिकार देता है।

अपराधों की प्रकृति और आसपास के कारकों को ध्यान में रखते हुए एक साथ चलने के लिए एक मुकदमे में दो या दो से अधिक अपराध-इस तरह के प्रयोग के मामले में कोई संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं हो सकता है।

न्यायालय द्वारा विवेकाधिकार; लेकिन इस विवेकाधिकार का प्रयोग किए गए अपराध की प्रकृति और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए-हालाँकि, यदि सजा (आजीवन कारावास के अलावा) को समवर्ती रूप से चलाने के लिए प्रदान नहीं किया गया है, एक के बाद एक ऐसे क्रम में चलेगा जैसे -

न्यायालय निर्देश दे सकता है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: s.220-'एकल लेनदेन' सिद्धांत अनिवार्य रूप से s के लिए संदर्भित है। 220 जो

यह प्रावधान है कि यदि एक ही लेन-देन के रूप में एक साथ जुड़े कार्यों की एक श्रृंखला में एक से अधिक अपराध किए जाते हैं, तो अभियुक्त पर ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए एक ही मुकदमे में आरोप लगाया जा सकता है और मुकदमा चलाया जा सकता है-किसी दिए गए मामले में, कई अपराधों के लिए ऐसे मुकदमे के बाद,

630 सुनील कुमार @सुधीर कुमार बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य

यदि अभियुक्त को दोषी ठहराया जाता है और अलग-अलग दंड दिए जाते हैं,

तथ्यों और प्रासंगिक आसपास के कारकों के आधार पर इसका समवर्ती संचालन प्रदान किया जा सकता है।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 यह संदेह की छाया से परे है कि धारा 31 (1) सी. आर. पी. सी. अदालत को आदेश देने के लिए पूर्ण विवेक प्रदान करती है

अपराधों की प्रकृति और आसपास के मामलों को ध्यान में रखते हुए एक साथ चलने के लिए एक मुकदमे में दो या अधिक अपराधों के लिए सजा

कारक। भले ही यह नहीं कहा जा सकता है कि लगातार दौड़ना सामान्य नियम है, लेकिन यह भी निर्धारित नहीं किया गया है कि कई वाक्यों को एक साथ चलना चाहिए। न्यायालय द्वारा ऐसे विवेकाधिकार के प्रयोग के मामले में कोई संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं हो सकता है, लेकिन इस विवेकाधिकार का प्रयोग किए गए अपराध की प्रकृति और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। हालाँकि, यदि सजा (आजीवन कारावास के अलावा) को समवर्ती रूप से चलाने के लिए प्रदान नहीं किया जाता है, तो एक के बाद एक ऐसे आदेश में चलाया जाएगा, जैसा कि न्यायालय निर्देश दे।

[पैरा 10] [639-बी-डी]

1.2 इस न्यायालय के स्पष्टीकरणों के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31 (1) में जो प्रावधान किया गया है, उसके लिए यह इस प्रकार है कि

पहला उदाहरण कई पुरस्कार प्रदान करते समय कानूनी दायित्व के तहत है

वाक्य स्पष्ट शब्दों में निर्दिष्ट करने के लिए कि क्या वे समवर्ती या लगातार चलेंगे। [पैरा 11] [639-डी-ई]

नागराज राव बनाम। केंद्रीय जांच ब्यूरो (2015) 4 एस. सी. सी. 302 [2015] 12 एस. सी. आर. 424-पर भरोसा किया गया।

1.3 यदि प्रथम दृष्टांत न्यायालय निर्दिष्ट नहीं करता है

सजाओं का समवर्ती संचालन, निष्कर्ष, मुख्य रूप से, यह है कि न्यायालय का इरादा इस तरह के वाक्यों को लगातार चलाने का था, हालांकि, जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्रथम दृष्टांत न्यायालय को इस मामले को बाद के चरण में कटौती के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अलावा, यदि पहली बार का न्यायालय लगातार सजा सुनाने का इरादा रखता है, तो उस आदेश (यानी अनुक्रम) को बताने के लिए उस पर एक और दायित्व है जिसमें उन्हें निष्पादित किया जाना है। इसमें मामले का परेशान करने वाला हिस्सा यह है कि न केवल निचली अदालत ने आवश्यक विनिर्देशों को बताने में चूक की, बल्कि उच्च न्यायालय भी निचली अदालत के आदेश में ऐसी खामियों से चूक गया। [पैरा 12] [639-एच; 640-ए-बी] [2021] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. 'एकल लेनदेन' सिद्धांत अनिवार्य रूप से धारा 220 सी. आर. पी. सी. के लिए संदर्भित है, जो प्रदान करता है कि यदि अधिक अपराध हैं तो एक ही लेन-देन के रूप में एक साथ जुड़े कार्यों की एक श्रृंखला में किया जाता है, फिर आरोपी पर आरोप लगाया जा सकता है और ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए एक मुकदमे में मुकदमा चलाया जा सकता है। किसी मामले में, कई अपराधों के लिए इस तरह के मुकदमे के बाद, यदि आरोपी को दोषी ठहराया जाता है और उसे अलग-अलग दंड दिए जाते हैं, तो तथ्यों और प्रासंगिक प्रावधानों के आधार पर उसका समवर्ती संचालन प्रदान किया जा सकता है।

आसपास के कारक। 'एकल लेन-देन' से संबंधित सिद्धांत को प्रश्न से निपटने के लिए आयात नहीं किया जा सकता है।

[पैरा 14] [640-ई-एफ]

मनोज उर्फ पंजू बनाम। हरियाणा राज्य (2014) 2 एससीसी 153: [1996] 1 एस. सी. आर. 532; नागराज राव बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2015) 4 एस. सी. सी. 302: [2015] 12 एससीआर 424; गगन कुमार बनाम। पंजाब राज्य (2019) 5

एससीसी 154: [2019] 3 एससीआर 367-विशिष्ट।

पंजाब राज्य बनाम। गुरमीत सिंह और अन्य। (1996) 2 एस. सी. सी. 384; मध्य प्रदेश राज्य बनाम अनूप सिंह (2015) 7 एससीसी 773: [2015] 6 एस. सी. आर. 960-लागू नहीं होता है।

3. विचाराधीन अपराध वर्ष 2008 में किए गए थे, यानी 2013 के संशोधन अधिनियम 13 द्वारा आई. पी. सी. के संशोधन से पहले; अपीलार्थियों ने लगातार लगभग 13 साल और 2 महीने का कारावास काटा है; और सजा काटते समय उनके आचरण के संबंध में कुछ भी प्रतिकूल नहीं दर्ज किया गया है। इस उद्देश्य के लिए पूर्ण न्याय की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से इस प्रावधान के साथ पूरा किया जा सकता है कि अपीलार्थियों द्वारा कारावास की अधिकतम अवधि 14 वर्ष होगी और उससे अधिक नहीं। [पैरा 17] [642-डी-ई, एफ-जी]

मुथुरामलिंगम और ओआरएस। वी. राज्य (2016) 8 एससीसी 313:

ओ. एम. चेरियन उर्फ थंकाचन बनाम केरल राज्य और अन्य। (2015) 2 एससीसी 501: [2014] 11 एससीआर 140-निर्भर पर।

मोहन बैथा और ओआरएस। वी. बिहार राज्य और अन्र. (2001) 4 एस. सी. सी. 350; मो. अख्तर हुसैन उर्फ इब्राहिम अहमद सुनील कुमार @सुधीर कुमार बनाम।

उत्तर प्रदेश राज्य

भट्टी वी। सहायक सीमा शुल्क कलेक्टर (रोकथाम),

अहमदाबाद और अन्न। (1988) 4 एस. सी. सी. 183 [1988] 2 पूरक।

एस. सी. आर. 747 विशिष्ट।

मामला कानून संदर्भ

[2015] 12 एससीआर 424

पै

रा 7.1

प्रतिष्ठित

[2019] 3 एससीआर 367

प्रतिष्ठित

पै

रा 7.1

[2014] 11 एससीआर 140

उस पर भरोसा करें

पै

रा 7.1

(2001) 4 एससीसी 350

प्रतिष्ठित

पै

रा 7.2

[1988] 2 पूरक। एससीआर 747

प्रतिष्ठित

पै

रा 7.2

[1996] 1 एससीआर 532

प्रतिष्ठित

पै

रा 7.2

अप्रयोज्य रखा गया

(1996) 2 एस. सी. सी. 384

पै

रा 7.3

[2015] 6 एससीआर 960

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 7.3

[2016] 5 एससीआर 30

पीछा किया।

पै

रा 7.5

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

2021 का सं. 526।

उच्च न्यायालय के 21.02.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2008 की आपराधिक अपील संख्या 7399 में इलाहाबाद में न्यायिक कार्य।

पाई अमित, दीपक राज प्रेमी, परशुराम ए. एल., मानस्वी अग्रवाल,

रोहित आर. साबू, सुश्री रानू पुरोहित, सुश्री पंखुड़ी भारद्वाज, सुश्री भावना दुहून, सत्यम टंडन, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

विनोद दिवाकर, एएजी, सर्वेश सिंह बघेल, बी. एन. दुबे, सुश्री.

शिवरंजनी रालावत, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय दिया गयाः

न्याय

छुट्टी दे दी गई।

2. इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 13.04.2018 के आदेश को ध्यान में रखते हुए

विशेष अनुमति याचिका दायर करने और नोटिस जारी करने की अनुमति देते समय, इस अपील का दायरा सजा के प्रश्न तक सीमित है; और इसमें अपीलार्थी, धारा 363 के तहत अपराधों के अपने दोषसिद्धि के बाद,

366 और भारतीय दंड संहिता, 1860 ('आई. पी. सी.') की धारा 376 (1) में पहले ही [2021] 6 एस. सी. आर. हैं।

13 साल और 2 महीने की जेल हुई। दी गई परिस्थितियों में, हमने अंततः इस स्तर पर ही पक्षों के लिए विद्वान परामर्श सुना है।

2.1 . यहाँ तक कि इस मामले में शामिल छोटे प्रश्न में भी अपनी विशिष्टताएँ हैं, जैसा कि इन्फ्रा में देखा गया है। 3. जहां तक प्रासंगिक पृष्ठभूमि पहलुओं का संबंध है, यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि 03.02.2008 पर, 2008 का मामला अपराध संख्या 44 के तहत अपराधों के लिए

धारा 363 और 366 भारतीय दंड संहिता, 1860 ('आई. पी. सी.') एक लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस स्टेशन, टी. पी. नगर, मेरठ में दर्ज की गई कि शिकायतकर्ता की 13 वर्षीय बेटी, जो 15.01.2008 पर स्कूल गई थी, वापस नहीं आई थी। और बहुत कोशिशों के बाद, शिकायतकर्ता को पता चला कि आरोपी-अपीलकर्ता नंबर 2 फैमुद्दीन @फेरू @सोनू ने उसकी बेटी को लुभाया था। जाँच के दौरान, पीड़ित लड़की को बरामद कर लिया गया और अंततः अपीलार्थियों के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 363,366 और 376 के तहत अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया गया। 2008 के सत्र विचारण सं. 575 में उन पर मुकदमा चलाया गया था, जिसमें अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत, फास्ट ट्रैक कोर्ट सं. 5, मेरठ ने अपने फैसले और दिनांक 1 के आदेश में उन्हें आई. पी. सी. की धारा 363,366 और 376 (1) के तहत अपराधों का दोषी ठहराया था।

4. उपरोक्त रूप में अभिलिखित दोषसिद्धि के बाद, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को निम्नलिखित तरीके से कई दंडों की सजा सुनाईः 5 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास और 5 लाख रुपये का जुर्माना। 2,000 / - और चूक में, धारा के तहत अपराध के लिए 6 महीने के लिए और कारावास 363 आई. पी. सी.; 7 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास और 5 लाख रुपये का जुर्माना। 3,000 / - और चूक में, आई. पी. सी. की धारा 366 के तहत अपराध के लिए 1 साल के लिए और कारावास; और 10 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास के साथ 5 लाख रुपये का जुर्माना। 5,000 / - और चूक में, आई. पी. सी. की धारा 376 (1) के तहत अपराध के लिए डेढ़ साल के लिए और कारावास। हालाँकि, विचारण न्यायालय ने यह निर्दिष्ट नहीं किया कि क्या कारावास की सजाएँ समवर्ती रूप से या लगातार चलेंगी; और यदि उनका इरादा लगातार चलने का था, तो विचारण न्यायालय ने उस आदेश को निर्दिष्ट नहीं किया जिसमें कारावास की एक सजा दूसरे की समाप्ति के बाद शुरू होनी थी।

5. ट्रायल कोर्ट के फैसले और आदेश के खिलाफ, केवल अपीलकर्ता नंबर 1 सुनील कुमार उर्फ सुधीर कुमार ने पहले अपील की थी।

इलाहाबाद में न्यायिक उच्च न्यायालय, 2008 की आपराधिक अपील संख्या 7399 है। हालाँकि, उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी के विद्वान वकील ने अपनी दलीलों को केवल सजा के बिंदु तक सीमित रखा और सुनील कुमार @सुधीर कुमार बनाम।

उत्तर प्रदेश राज्य

दृढ़ विश्वास के मुद्दे पर दबाव न डालें। इस प्रकार, द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि

विचारण न्यायालय ने अंतिमता प्राप्त की, क्योंकि अपीलार्थी सं. 2 ने याचिका दायर नहीं की थी।

अपील और अपीलार्थी सं. 1 के लिए, अपील दायर करने के बाद भी, उसी को चुनौती नहीं दी है। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने केवल अपीलार्थी संख्या 1 के दंडादेश के प्रश्न की जांच की और अपने विवादित निर्णय और दिनांक 1 के आदेश में यह अभिनिर्धारित करते हुए कि पूर्वनिर्धारित शर्तें अपेक्षाकृत असमान थीं, आदेश को संशोधित करने के लिए आगे बढ़ा।

जुर्माने के भुगतान में चूक की स्थिति में अभियुक्त-अपीलार्थी (यानी अपीलार्थी संख्या 1) को आई. पी. सी. की धारा 376 (1), 366 और 363 के तहत अपराधों के लिए क्रमशः 5 महीने, 3 महीने और 1 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा दी जाएगी।

हालाँकि, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान देने के बाद भी कि अभियुक्त-अपीलार्थी पहले ही 10 साल के कारावास से गुजर चुका था, इस बात पर विचार नहीं किया कि निचली अदालत ने न तो सजा के समवर्ती संचालन का प्रावधान किया था और न ही सजा के संचालन का आदेश प्रदान किया था, यदि वे लगातार चल रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि जबकि ट्रायल कोर्ट

उस आदेश में धारा 363,366 और 376 (1) के तहत अपराधों के लिए अपीलार्थियों को सजा सुनाई गई, उच्च न्यायालय ने चूक के संशोधन के लिए प्रावधान किया

आई. पी. सी. की धारा 376 (1), 366 और 363 के तहत अपराधों के लिए विपरीत क्रम में प्रावधान।

संकट की स्थिति में, अभियुक्त-अपीलकर्ताओं ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। 7. अपने तर्कों को सजा के सवाल तक सीमित रखते हुए, अपीलार्थियों के विद्वान वकील श्री अमित पई ने मेहनत से कहा है

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ('दंड प्रक्रिया संहिता') की धारा 31 और इस न्यायालय के कई निर्णयों के संदर्भ में प्रस्तुतियाँ आगे बढ़ाएँ।

7.1 . विद्वान वकील ने नागराज राव बनाम में निर्णयों पर भरोसा करते हुए तर्क दिया है। केंद्रीय जांच ब्यूरोः (2015) 4 एस. सी. सी. 303 और गगन कुमार बनाम। पंजाब राज्यः (2019) 5 एस. सी. सी. 154, कि दंड देने वाले न्यायालय के लिए यह निर्दिष्ट करना अनिवार्य है कि क्या वे समवर्ती रूप से या लगातार चलेंगे; और [2021] 6 एस. सी. आर.

विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय की ओर से अपेक्षित विनिर्देशों को बताने में चूक को अभियुक्त-अपीलार्थियों के हितों के लिए हानिकारक होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि हालांकि धारा 31 सी. आर. पी. सी. के अधिदेश के अनुसार, जब तक कि समवर्ती रूप से चलने के लिए निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, तब तक सजाएं लगातार चलती हैं, लेकिन उस उद्देश्य के लिए, न्यायालय को उस आदेश को निर्देशित करने की आवश्यकता होती है जिसमें वे चलेंगे; और ऐसा कोई निर्देश ट्रायल कोर्ट या उच्च न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि अदालतें जानबूझकर प्रावधान कर रही थीं

वाक्यों का लगातार चलना। इसके अलावा, ओ. एम. चेरियन उर्फ थंकाचन बनाम में निर्णय के संदर्भ में। केरल राज्य और अन्य। : (2015) 2 एस. सी. सी. 501, विद्वान वकील आग्रह करेंगे कि यह सामान्य नियम नहीं है कि कई वाक्यों को लगातार चलाया जाना है।

7.2 . विद्वान वकील श्री पाई ने भी गोद लेने का प्रयास किया है।

वाक्यों को भी 'एकल लेनदेन' सिद्धांत द्वारा नियंत्रित किया जाना है, जैसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31 (1) और 220 (1) के संयुक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है।

सीमा शुल्क कलेक्टर (रोकथाम), अहमदाबाद और अन्र। : (1988) 4 एस. सी. सी. 183; और मनोज उर्फ पंजू बनाम। हरियाणा राज्यः (2014) 2 एस. सी. सी. 153 और प्रस्तुत किया है कि आरोप की प्रकृति को देखते हुए, न्यायालयों के लिए वर्तमान मामले में सजा को लगातार चलाने का निर्देश देने का कोई कारण नहीं था। 7.3 . इसके अलावा, अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने पंजाब राज्य बनाम में निर्णयों का उल्लेख किया है। गुरमीत सिंह और अन्य। : (1996) 2

एस. सी. सी. 384 और मध्य प्रदेश राज्य बनाम। अनूप सिंहः (2015) 7

एस. सी. सी. 773 ने यह प्रस्तुत करने के लिए कि वे भी धारा 363,366 और 376 के तहत अपराधों से जुड़े मामले थे, जिसमें पीड़ित नाबालिग थी; और इसमें, इस न्यायालय ने समवर्ती रूप से चलने वाली सजाएं दी हैं।

7.4 . विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया है कि हालाँकि अपीलार्थी

नंबर 2 ने ट्रायल कोर्ट के फैसले और आदेश के खिलाफ अपील को प्राथमिकता नहीं दी, इस कोर्ट ने उन्हें दिनांक 13.04.2018 के आदेश द्वारा एसएलपी दायर करने की अनुमति दी; और इसलिए, उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार चूक सजा में कमी का लाभ अपीलार्थी संख्या 2 को भी दिया जाना चाहिए। 7.5 . विद्वान वकील श्री पाई, मुथुरामलिंगम और सुनील कुमार @सुधीर कुमार बनाम में संविधान पीठ की टिप्पणियों की ओर स्पष्ट रूप से इशारा करते हुए।

उत्तर प्रदेश राज्य

ओआरएस। वी. बताइएः (2016) 8 एस. सी. सी. 313 (पैराग्राफ 28), इस प्रभाव से कि धारा 31 की उप-धारा (2) का सत्र न्यायालय द्वारा विचारण किए गए मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है और न ही उप-धारा (2) सत्र न्यायालय द्वारा दिए जाने योग्य सजाओं को लगातार चलाने के निर्देश को मना करती है, एक जोरदार अपील की है कि अपीलार्थी पहले ही 13 साल से अधिक के कारावास से गुजर चुके हैं; और यदि सजाओं को लगातार चलाने से कुल 22 साल की अवधि के लिए सेवा करने के लिए नियुक्त किया जाता है, तो यह इस मामले में उन्हें भुगतने की आवश्यकता वाले वास्तविक दंड के लिए अत्यधिक असमान होगा।

8. दूसरी ओर, विद्वान ए. ए. जी. श्री विनोद दिवाकर ने प्रतिवादी की ओर से दृढ़ता से और निष्पक्ष रूप से भी अपने विचार रखे हैं।

उपरोक्त तर्कों के विरोध में राज्य।

8.1 . विद्वान ए. ए. जी. श्री दिवाकर प्रस्तुत करेंगे कि धारा 31 सी. आर. पी. सी. ट्रायल कोर्ट को यह निर्देश देने के लिए विवेक प्रदान करती है कि क्या

जब अभियुक्त को दो या दो से अधिक अपराधों के एक मुकदमे में दोषी ठहराया जाता है तो सजाएं एक साथ चलेंगी, लेकिन वर्तमान मामले में, अपराधों की गंभीरता और प्रकृति यानी 13 वर्षीय लड़की के अपहरण और बलात्कार को ध्यान में रखते हुए, निचली अदालत ने अपने विवेक का प्रयोग किया है और यह उल्लेख नहीं किया है कि सजाएं एक साथ चलेंगी। और, इसलिए, वास्तव में, उन्हें लगातार चलना है।

8.2 . विद्वान ए. ए. जी. ने यह भी प्रस्तुत किया है कि एक ही लेन-देन में अपराध करने से संबंधित सिद्धांत

प्रस्ताव है कि कई अपराधों के संबंध में अलग-अलग सजाएं हमेशा एक साथ चलेंगी; और ओ. एम. चेरियन (ऊपर) में उच्चारणों का उल्लेख किया है। विद्वान ए. ए. जी. ने आगे मुथुरामलिंगम (ऊपर) के मामले में संविधान पीठ के फैसले का उल्लेख किया है। यह प्रस्तुत करना कि आजीवन कारावास को छोड़कर, कई अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा दी गई अन्य अवधि की सजाएं लगातार चलती हैं, जब तक कि

अन्यथा निर्देशित।

उस मामले से संबंधित तथ्य और परिस्थितियाँ और अपीलार्थी निम्नलिखित के संदर्भ में सजा के समवर्ती संचालन के लिए किसी भी समानता का दावा नहीं कर सकते हैंः कोई अन्य निर्णयित मामला, भले ही समान प्रकृति के अपराधों से संबंधित हो। विद्वान ए. ए. जी. का तर्क होगा कि वर्तमान मामले में, अपराधों की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए, विचारण न्यायालय ने वाक्यों को समवर्ती रूप से चलाने का निर्देश नहीं देने में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग किया है, जिसका केवल यह अर्थ है कि वाक्यों को लगातार चलाया जाना है; और यह कि विचारण न्यायालय की ओर से चलने के आदेश को निर्दिष्ट नहीं करने में चूक का मतलब यह नहीं हो सकता है कि वाक्यों को समवर्ती रूप से चलाया जाना है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

9. हमने प्रतिद्वंद्वी की दलीलों पर विचारपूर्वक विचार किया है और कानून के संदर्भ में मामले के रिकॉर्ड की जांच की है

10. इस मामले में आग्रह की गई दलीलें अनिवार्य रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31 (1) में निहित प्रावधानों के इर्द-गिर्द घूमती हैं। इनकी आकृतियाँ ओ. एम. चेरियन (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित शब्दों में प्रावधानों को संक्षिप्त रूप से चित्रित और समझाया गया हैः -

" 20. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31 के तहत यह अदालत के पूर्ण विवेक पर छोड़ दिया जाता है कि वह दो या दो से अधिक अपराधों के लिए दोषसिद्धि के मामले में सजा को एक साथ चलाने का आदेश दे। अदालतों द्वारा इस तरह के विवेकाधिकार के प्रयोग के मामले में किसी भी स्ट्रैटजैकेट दृष्टिकोण को निर्धारित करना मुश्किल है। कुल मिलाकर, निचली अदालतों और अपीलीय अदालतों ने समवर्ती संचालन के लिए निर्देश जारी करने के लिए अपने विवेक का उपयोग किया है। दण्डादेश, अभियुक्त को दिए जाने वाले लाभ के पक्ष में। किसी मामले में सजा के समवर्ती संचालन के लिए कोई निर्देश जारी किया जाना चाहिए या नहीं, यह अपराध या किए गए अपराधों की प्रकृति और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायिक आधार पर किया जाना चाहिए न कि यांत्रिक रूप से।

21. तदनुसार, हम यह अभिनिर्धारित करते हुए संदर्भ का उत्तर देते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31 अदालत को एक साथ चलने के लिए एक मुकदमे में दो या दो से अधिक अपराधों के लिए सजा का आदेश देने का पूरा विवेकाधिकार छोड़ती है, अपराधों और परिचर की प्रकृति के संबंध में, जो परिस्थितियों को बढ़ाता है या कम करता है। हमें यह मानने का कोई कारण नहीं मिलता है कि सामान्य नियम वाक्य को लगातार रखने का आदेश देना है और अपवाद वाक्यों को समवर्ती बनाना है। बेशक, यदि अदालत सजा को समवर्ती होने का आदेश नहीं देती है, तो एक सजा दूसरे के बाद चल सकती है, ऐसे आदेश में जो अदालत निर्देश दे। हम मोहम्मद में पहले के फैसले में भी कोई विरोधाभास नहीं पाते हैं। अख्तर

हुसैन और धारा 31 सीआरपीसी "।

10.1 . मुत्तुरामलिंगम (ऊपर) में, संविधान पीठ के समक्ष मूल प्रश्न यह था कि क्या लगातार आजीवन कारावास की सजा दी जाती है।

एक दोषी को हत्याओं की एक श्रृंखला का दोषी पाए जाने पर सम्मानित किया जा सकता था, जिसके लिए उस पर एक ही मुकदमे में मुकदमा चलाया गया था। इस प्रश्न के निर्धारण के दौरान, संविधान पीठ ने सजा के कई आयामों पर विचार किया, विशेष रूप से जो कई वाक्यों से संबंधित थे और अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा कि, सुनील कुमार @सुधीर कुमार बनाम.

उत्तर प्रदेश राज्य

" 23 ..... इस प्रकार व्याख्या की गई धारा 31 (1) सी. आर. पी. सी. का अर्थ यह होना चाहिए कि कैदी द्वारा किए गए कई अपराधों के लिए अदालत द्वारा दी गई सजाएं लगातार चलेंगी (जब तक कि अदालत अन्यथा निर्देश नहीं देती) सिवाय इसके कि ऐसी सजाओं में आजीवन कारावास शामिल है जो समवर्ती रूप से चल सकता है और होना चाहिए।

10.2 . इस प्रकार, यह संदेह की छाया से परे है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31 (1) सजा का आदेश देने के लिए न्यायालय को पूर्ण विवेक प्रदान करती है।

अपराधों की प्रकृति और आसपास के कारकों को ध्यान में रखते हुए एक साथ चलने के लिए एक मुकदमे में दो या दो से अधिक अपराधों के लिए। भले ही यह नहीं कहा जा सकता है कि लगातार दौड़ना सामान्य नियम है, लेकिन यह भी निर्धारित नहीं किया गया है कि कई वाक्यों को एक साथ चलना चाहिए। इस तरह के विवेकाधिकार के प्रयोग के मामले में कोई स्ट्रैटजैकेट दृष्टिकोण नहीं हो सकता है।

न्यायालय द्वारा; लेकिन इस विवेकाधिकार का प्रयोग किए गए अपराध की प्रकृति और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। हालाँकि, यदि सजा (आजीवन कारावास के अलावा) को समवर्ती रूप से चलाने के लिए प्रदान नहीं किया जाता है, तो एक के बाद एक ऐसे आदेश में चलाया जाएगा, जैसा कि न्यायालय निर्देश दे।

11. इस न्यायालय के स्पष्टीकरणों के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31 (1) में जो प्रावधान किया गया है, उसके लिए यह इस प्रकार है कि प्रथम दृष्टांत न्यायालय है -

कई वाक्यों को स्पष्ट शब्दों में निर्दिष्ट करने के लिए कानूनी दायित्व के तहत कि क्या वे समवर्ती या लगातार चलेंगे।

नागराज राव (ऊपर) के मामले में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में प्रथम दृष्टांत के न्यायालय पर इस कानूनी दायित्व की व्याख्या कीः

" 11. अभिव्यक्तियाँ "समवर्ती" और "लगातार"

आई. पी. सी. के तहत दंडनीय किसी अपराध या/और एक या अधिक मुकदमे से उत्पन्न होने वाले किसी अन्य विशेष अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के दोषी पाए जाने के बाद आरोपी को सजा देते समय संहिता में उल्लिखित का बहुत महत्व है। यह इस कारण से है कि अभियुक्त के लाभ के लिए पूर्व का पुरस्कार जबकि बाद का पुरस्कार अभियुक्त के हित के लिए हानिकारक है। इसलिए, पहली बार की अदालत पर यह कानूनी रूप से अनिवार्य है कि वह सजा सुनाते समय दोषसिद्धि के क्रम में स्पष्ट शब्दों में निर्दिष्ट करे कि क्या अभियुक्त को दी गई सजाएं "समवर्ती रूप से" चलेंगी या वे "लगातार" चलेंगी।

12. जैसा कि देखा गया है, यदि प्रथम दृष्टांत न्यायालय वाक्यों के समवर्ती संचालन को निर्दिष्ट नहीं करता है, तो निष्कर्ष, मुख्य रूप से, यह है कि न्यायालय का इरादा इस तरह के वाक्यों को लगातार चलाने का है, हालांकि, जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्रथम दृष्टांत न्यायालय को इस मामले को [2021] 6 एस. सी. आर. में कटौती के लिए नहीं छोड़ना चाहिए।

बाद के चरण में। इसके अलावा, यदि पहली बार का न्यायालय लगातार सजा सुनाने का इरादा रखता है, तो उस आदेश (यानी अनुक्रम) को बताने के लिए उस पर एक और दायित्व है जिसमें उन्हें निष्पादित किया जाना है। इसमें मामले का परेशान करने वाला हिस्सा यह है कि न केवल निचली अदालत ने आवश्यक विनिर्देशों को बताने में चूक की, बल्कि उच्च न्यायालय भी निचली अदालत के आदेश में ऐसी खामियों से चूक गया।

13. यहां तक कि जब हम विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में उपरोक्त कमियों को पाते हैं, तो सवाल यह है कि क्या अपीलार्थियों को दी गई सजाएं - समवर्ती रूप से चलने के रूप में माना जाता है? जैसा कि देखा गया है, यह बताने में चूक कि क्या अभियुक्त को दी गई सजाएं समवर्ती रूप से चलेंगी या लगातार चलेंगी, अनिवार्य रूप से अभियुक्त के खिलाफ काम करती हैं क्योंकि जब तक न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं कहा जाता है, तब तक कई सजाएं दी जाती हैं।

अपीलार्थियों के वकील ने 'एकल लेनदेन' सिद्धांत को लागू करने का प्रयास किया है। हमारे विचार में, उक्त सिद्धांत अनिवार्य रूप से धारा 220 सी. आर. पी. सी. के लिए संदर्भित है, जिसमें यह प्रावधान है कि यदि एक से अधिक अपराध एक साथ जुड़े कृत्यों की एक श्रृंखला में किए जाते हैं ताकि एक ही लेन-देन हो सके, तो आरोपी पर आरोप लगाया जा सकता है और ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए एक ही मुकदमे में मुकदमा चलाया जा सकता है। किसी मामले में, कई अपराधों के लिए इस तरह के मुकदमे के बाद, यदि आरोपी को दोषी ठहराया जाता है और उसे अलग-अलग दंड दिए जाते हैं, तो तथ्यों और प्रासंगिक आसपास के कारकों के आधार पर उसका समवर्ती संचालन प्रदान किया जा सकता है। हमें डर है कि 'एकल लेनदेन' से संबंधित सिद्धांत को प्रश्न से निपटने के लिए आयात नहीं किया जा सकता है। 14.1 . मोहन बैथा (उपर्युक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि अभिव्यक्ति 'एक ही लेन-देन', अपनी प्रकृति से, एक सटीक परिभाषा देने में असमर्थ है और यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि क्या दो या दो से अधिक अधिनियम एक ही लेन-देन का गठन करते हैं, सार्वभौमिक अनुप्रयोग के किसी भी व्यापक सूत्र का प्रतिपादन करना संभव नहीं है। उस मामले में शामिल प्रश्न सजा से संबंधित नहीं था, बल्कि आई. पी. सी. की धारा 304-बी, 498-ए, 120-बी और 406 और बिहार में मजिस्ट्रेट के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से संबंधित विभिन्न अपराधों की जांच और मुकदमे से संबंधित था, जब कथित सुनील कुमार @सुधीर कुमार बनाम।

उत्तर प्रदेश राज्य

आई. पी. सी. की धारा 304-बी के तहत अपराधों में से एक घटना उत्तर प्रदेश राज्य में हुई थी। बेशक, मोहम्मद के मामले में। अख्तर हुसैन (ऊपर), इस न्यायालय ने संकेत दिया कि यदि कोई लेन-देन दो अधिनियमों के तहत दो अपराधों का गठन करता है, तो आम तौर पर यह गलत है

15. गुरमीत सिंह और अनूप सिंह (उपरोक्त) के मामलों में इस अदालत द्वारा दिए गए दंड व्यक्तिगत तथ्यों से संबंधित हैं और परिस्थितियां और वाक्यों की विशेष मात्रा और उनके समवर्ती चलने के उद्देश्य के लिए पूर्ववर्ती के रूप में नहीं अपनाया जा सकता है। महत्वपूर्ण रूप से, उक्त दोनों मामलों में, इस न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि को बरी करने के विवादित आदेशों को दरकिनार करने के बाद दर्ज किया गया था। बरी किए जाने के फैसले को पलटने के बाद सजा के मामले में न्यायसंगत संतुलन बनाने के लिए इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश वर्तमान मामले में लागू नहीं किए जा सकते हैं, जहां पहली बार के न्यायालय द्वारा दर्ज की गई दोषसिद्धि को चुनौती भी नहीं दी गई थी, और उसने अंतिमता प्राप्त कर ली है।

16. यहाँ ऊपर जिस पर चर्चा की गई है, हम विद्वान वकील की प्रस्तुतियों के प्रमुख भाग को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

अपीलार्थी। हालाँकि, उनकी प्रस्तुतियों का दूसरा हिस्सा, कि अपीलकर्ताओं को कुल 22 साल की जेल की सजा काटने की आवश्यकता अत्यधिक [2021] 6 एस. सी. आर. होगी।

इस मामले में उन्हें जिस वास्तविक सजा की आवश्यकता है, उससे असंगत होने पर, इसे पूरी तरह से विचार के योग्य नहीं माना जा सकता है।

17. हमने मुत्तुरामलिंगम (उपर्युक्त) में संविधान पीठ की टिप्पणियों पर ध्यान दिया है, जो इस न्यायालय के पिछले निर्णय के संदर्भ में की गई थीं, जिसमें धारा 31 की उप-धारा (2) के परंतुक के संदर्भ में आजीवन कारावास की सजा के लगातार चलने की संभावना को समाप्त कर दिया गया था। संविधान पीठ ने हालांकि इस विचार का समर्थन किया कि लगातार आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जा सकती है, लेकिन यह कहा कि इस निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31 की उप-धारा (2) के परंतुक पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और यह भी कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31 की उप-धारा (2) के प्रावधान का समर्थन करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31 की उप-धारा (2) के प्रावधान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

सी. आर. पी. सी. की धारा 31 का न्यायालय द्वारा विचारण किए गए मामले में कोई आवेदन नहीं है।

17.1 . यहां तक कि जब धारा 31 सी. आर. पी. सी. की उप-धारा (2) सीधे लागू नहीं होती है, तब भी वर्तमान मामले की कुछ प्रासंगिक विशेषताएं यह हैं कि - विचाराधीन अपराध वर्ष 2008 में किए गए थे, अर्थात 2013 के संशोधन अधिनियम 13 द्वारा आई. पी. सी. के संशोधन से पहले; अपीलार्थी

लगातार लगभग 13 वर्ष और 2 महीने के कारावास की सजा काट चुके हैं और सजा काटते समय उनके आचरण के संबंध में कुछ भी प्रतिकूल नहीं दर्ज किया गया है। दी गई परिस्थितियों में, हमने इस प्रश्न पर विचार किया है कि दंड देने और उसके निष्पादन की समग्र योजना को ध्यान में रखते हुए, एक ओर दंड की आवश्यकताओं और दूसरी ओर अपीलार्थियों के लिए उचित रिहाई की अवधि पर न्यायपूर्ण संतुलन के लिए क्या आदेश होना चाहिए, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433 और 433 ए के साथ-साथ आई. पी. सी. की धारा 55 के संदर्भित सहायक पहलू भी शामिल हैं, जिसके तहत 14 साल की अवधि की सेवा भी होनी चाहिए।

आजीवन कारावास की सजा में सार है (उपयुक्त सरकार द्वारा आवागमन की शक्तियों के प्रयोग के अधीन)

अन्य लागू सिद्धांतों के अनुसार)। सभी प्रासंगिक कारकों पर उत्सुकता से विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि हमारे समक्ष मामले के लिए पूर्ण न्याय की आवश्यकताओं को इस प्रावधान के साथ पर्याप्त रूप से पूरा किया जा सकता है कि अपीलार्थियों द्वारा कारावास की अधिकतम अवधि 14 वर्ष होगी और उससे अधिक नहीं।

18. हालाँकि, लाभ बढ़ाने के लिए प्रस्तुत करना

पूर्वनिर्धारित शर्तों का संशोधन जो अपीलार्थी सं। 2 इसमें यह कमी है कि उक्त अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील करना पसंद नहीं किया। यह इस तथ्य के साथ जोड़ा गया है कि इस मामले के मूल कारण में, सुनील कुमार @सुधीर कुमार बनाम को लुभाने का प्रारंभिक आरोप है।

उत्तर प्रदेश राज्य

पीड़ित को अपीलार्थी संख्या 2 के खिलाफ बनाया गया था। इस अपील की समग्र परिस्थितियों और प्रमुख विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए, हम उस मुद्दे को फिर से खोलने का कोई कारण नहीं पाते हैं जिसे अपीलार्थी संख्या 2 द्वारा प्रासंगिक स्तर पर नहीं उठाया गया था।

19. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हम अपीलार्थियों को दी गई सजा में इस तरह से संशोधन करने का प्रावधान करते हैं कि विचाराधीन अपराधों के संबंध में उनके द्वारा कारावास की अधिकतम अवधि 14 वर्ष और उससे अधिक नहीं होगी। यह बिना कहे चला जाता है कि संशोधन का यह आदेश केवल इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में पारित किया जाता है।

19.1 . तथापि, जुर्माने के भुगतान की आवश्यकता और पूर्वनिर्धारित शर्तें, जैसा कि आदेश के संदर्भ में अपीलार्थी संख्या 1 पर लागू होती हैं -

उच्च न्यायालय और अपीलार्थी सं. 2 के लिए विचारण न्यायालय के आदेश के संदर्भ में, अक्षुण्ण रहेगा। अपीलार्थियों के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि उनके निर्देशों के अनुसार, अपीलार्थी संख्या 1 ने जुर्माने की राशि जमा कर दी है। प्रस्तुतिकरण को अभिलेख में लिया जाता है। हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि जुर्माने के भुगतान में चूक करने पर, चूककर्ता-अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 363,366 और 376 (1) के तहत अपराधों के लिए लगातार और उनके द्वारा लगाए गए आदेश के अनुसार संबंधित चूक दंड से गुजरना होगा।

20. जैसा कि ऊपर कहा गया है, अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

21. इस मामले को समाप्त करते हुए, हम नागराज राव (ऊपर) के मामले में जो व्याख्या की गई थी, उसे दोहराना उचित समझते हैं, कि यह है कारावास के कई दंड देते समय, पहली बार के न्यायालय पर कानूनी रूप से यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना अनिवार्य है कि क्या सजाएं समवर्ती रूप से या लगातार चलेंगी। इस बात पर शायद ही जोर देने की आवश्यकता है कि न्यायालय द्वारा इस दायित्व को पूरा करने में कोई चूक पक्षों के लिए अनावश्यक और टालने योग्य पूर्वाग्रह का कारण बनती है, चाहे वह आरोपी हो या अभियोजन पक्ष।

देविका गुजराल

अपील

की आंशिक रूप से अनुमति है।